डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

TENDER FOR SUPPLY OF VECHICLE ON HIRE BASIS FOR OFFICE USE

Tender Fees : Rs. 1000/- (One Thousand Only)

2016

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विज्ञापन क्र./क्रय एवं भण्डार/वाहन/2016/107

सागर, दिनांक 25/05/2016

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में परीक्षा एवं कार्यालयीन कार्य हेतु किराये पर वाहन सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकृत ट्रेवल्स एजेन्सियों से पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से दिनांक 21/05/2016 दोपहर 02:00 बजे तक सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 21/06/2016 को दोपहर 03:00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। अन्य जानकारी/निविदा प्रपत्र रूपये 1000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के नाम देय होगा, को जमा कर कार्यालयीन दिवसों में दिनांक 20/06/2016 सायं 05:00 बजे तक परिवहन शाखा से प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वि.वि. की बेवसाइट dhsgsu.ac.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

27/5/16

27/5

27/5/2016

वाहन सेवाओं के लिए निविदा प्रपत्र

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के उपयोग के लिये स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर ए.सी./नॉन ए.सी. वाहन उपलब्ध कराने के लिये पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसियों से सील बंद निविदाएं लिफाफा "अ" एवं लिफाफा "ब" में आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ ई.एम.डी. के रूप में धरोहर राशि 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003 के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते रूपये 1,000/- के बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमाकर (जिसकी वापसी नही होगी) कार्यालयीन कार्य दिवसों में दिनांक .... के सायं .... बजे तक वि.वि. की परिवहन शाखा से प्राप्त किये जा सकते है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट dhsgsu.ac.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क राशि रू. 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट लगाया जाना अनिवार्य है। सील बंद निविदाएं दिनांक 21/06/2016 दोपहर 02:00 बजे तक सहायक कुलसचिव, क्रय एवं भंडार शाखा, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के पते पर **पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट** से प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 03:00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएंगी किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

लिफाफा "अ" में निविदा प्रपत्र/तकनीकी जानकारी के प्रमाण पत्र/पूर्ण दस्तावेजों के साथ-साथ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट रखा जाए।

लिफाफा "ब" में वित्तीय निविदा जिसमें वाहनों की दरों का उल्लेख है को रखे।

उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्रपत्र में दिये गए पते पर भेजें, जो कि निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पर अथवा उससे पहले वि.वि. को प्राप्त हो जाए।

नोट :- यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा "अ" में चाही गई जानकारी अपूर्ण पाई जाती है तो लिफाफा "ब" नही खोला जायेगा एवं निविदा अपूर्ण मानकर अमान्य कर दी जाएगी।

27/5/16

27/5

कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

27/5/2016

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DROCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(A Central University)

निविदा क्र. आर./क्रय एवं भंडार/2016/ दिनांक ....

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

आवश्यक सूचना एवं निर्देश

कृपया निविदा भेजने के पूर्व निम्न लिखित निर्देशों/सूचना को भली भांति पढ़ लेवें । तदानुसार ही पूर्ण निविदा को नियत तिथि दिनांक 21.06.2016 को दोपहर 02.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से सहायक कुलसचिव, क्रय एवं भंडार शाखा, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003 के पते पर सील बंद लिफाफे में प्राप्त हो जाना चाहिये।

कार्य का नाम	वाहन किराये पर लेने हेतु
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.06.2016 .को दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य	रूपये 1000 वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	रूपये 15,000/- वि.वि. शर्ते अनुसार वापसी योग्य
तकनीकि निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 21/06/2016 समय दोप. 03.00 बजे क्रय एवं भंडार अनुभाग
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	पृथक से संबंधितो को सूचित किया जावेगा।

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

01 निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।

02 निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी।

03 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में ही आवेदन करना होगा जिसमें सील मुद्रा सहित निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

04 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर (अंको एवं शब्दों में) समस्त टैक्स सहित दर्शित की जाना अनिवार्य है।

05 वि0वि0 द्वारा प्रारूप के साथ उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) एवं वि0वि0 की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें, अन्यथा निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई निविदा निरस्त मानी जायेगी।

06 यदि निविदाकर्ता वि0वि0 से कुलसचिव नाम से रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करता है तो ऐसे निविदाकार को उस बैक ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी।

07 निविदा प्रपत्र यदि विश्वविद्यालय की वेब साईट www.dhsgsu.ac.in से डाउन लोड किया जाता है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रू. 1000/- की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

08 निविदा के साथ अमानत राशि संबंधित कार्य/अनुबंध हेतु निविदा सूचना में उल्लिखित अमानत राशि के अनुसार रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

09 विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र के साथ समस्त नियम व शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा कर्ता की सील मुद्रा के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित करेगा।

निविदाकर्ता का नाम ....

फर्म/कम्पनी का नाम ....

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

27/5/16 27/5 27/5/2016

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

वाहन सेवाओं के लिये निविदा प्रपत्र

1. ट्रेवल्स एजेंसी का नाम : ....
2. ट्रेवल्स एजेंसी का पूर्ण पता : ....
3. दूरभाष/मोबाइल क्रमांक : ....
4. ट्रेवल्स एजेन्सी के मालिक का नाम : .... पिता का नाम ....
5. वाहनों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी :-

लिफाफा "अ" में निम्न जानकारी एवं निविदा की शर्तों में उल्लेखित बिन्दुओं के समक्ष # चिन्हित प्रपत्र होना आवश्यक है:-

कम से कम 10 वाहन ट्रेवल्स एजेन्सी से अनुबंधित एवं व्यवसायिक टैक्सी के रूप में पंजीकृत हो, जो कि अप्रैल 2013 के पश्चात् निर्मित हो एवं उससे भी अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज संलग्न करें, जैसे :-

क्र.	वाहन का प्रकार	अनुबंधित व्यावसायिक वाहन का पंजीयन क्रमांक	निर्मित वर्ष (मॉडल वर्ष)	वाहन का बीमा
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				
06.				
07.				

08.				
09.				
10.				

6. कम से कम तीन वर्षो का पूर्व कार्यानुभव अथवा संस्था जहां सेवाऐं दे रहे है का विवरण एवं अभिलेख तथा सेवा प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

क्र.	संस्था का नाम	कार्य अवधि
1.		
2.		
3.		

27/5/16

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

सागर :

नाम ....

दिनांक :

पता ....

27/5

मोबाइल/दूरभाष नं. ....

27/5/2016

वित्तीय निविदा

वाहनों की दरों के संबंध में जानकारी : -

वाहनों की दरें सभी कर सहित	जीप/बोलेरो/सूमों समकक्ष नॉन ए.सी.	इंडिका नॉन ए.सी.	इंडिका ए.सी.	इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर नॉन ए.सी.	इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर ए. सी.	टवेरा/स्कार्पियों ए.सी.	टवेरा/स्कार्पियों नॉन ए.सी.	इनोवा/जायलो नॉन ए.सी.	इनोवा/जायलो ए.सी.	होण्डा सिटी केमरी एसेन्ट एवं समकक्ष ए.सी.	मिनी ट्रक 407 अथवा समकक्ष वाहन	विशेष रिमार्क
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
रेलवे स्टेशन आना जाना												
बस स्टैंड आना जाना												
स्थानीय 12 घन्टे न्यूनतम 100 कि.मी. तक												
सागर से बाहर प्रति कि.मी. (24 घण्टे)												
सागर स्थानीय प्रति कि.मी. (24 घण्टे)												
सागर से बाहर के लिए साप्ताहिक												
सागर स्थानीय के लिए साप्ताहिक												
सागर से बाहर के लिए मासिक												
सागर स्थानीय के लिए मासिक												

नोटः- नाईट हाल्ट प्रति रात्रि 12 से प्रातः 6 बजे तक रूपये .... सभी प्रकार के वाहनों पर सागर के बाहर की स्थिति में।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील ....

नाम ....

पता ....

मोबाईल/दूरभाष नं. ....

सागर, दिनांक

निविदा की शर्तें/नियम निम्नानुसार है:-

1. # फर्म के वैद्य पंजीयन की छायाप्रति, फर्म का पैन नं. एवं टिन नं. की सत्यापित प्रति, सर्विस टैक्स का 15 डिजिट वाला कोड नम्बर एवं क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
2. # फर्म द्वारा प्रस्तुत आयकर की विवरणी (निरन्तर तीन वर्ष) की छायाप्रति संलग्न करे।
3. # ट्रेवल्स एजेन्सी से अनुबंधित व्यावसायिक सभी वाहन अप्रैल 2013 के पश्चात् निर्मित होना चाहिये तथा व्यावसायिक टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
4. वाहनो के परमिट, रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स आदि दस्तावेज होना अनिवार्य है। इन मामलों में परिवहन विभाग के नियमों का पालन करना वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी।
5. निविदाकर्त्ता के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिये, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का एवं वाहन में रखी सामग्री का बीमा भी शामिल हो।
6. प्रदाय किये जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।
7. वाहन चालक को वि.वि. के नियंत्रण में रहकर वि.वि. द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
8. वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि की जवाबदारी ट्रेवल्स एजेंसी/निविदाकार की होगी।
9. वाहन चालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये और उनका व्यवहार/आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वाहन ट्रेवल एजेंसी/निविदाकार को ''ब्लैक लिस्ट'' किया जा सकेगा और इसके कारण वि.वि. को हुई क्षति की वसूली धरोहर राशि तथा देयकों से की जावेगी।
10. विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार दुर्घटना या चोरी आदि होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स एजेंसी/निविदाकार की होगी।
11. टेलीफोन पर या लिखित में वाहन की मांग किसी भी समय किये जाने पर वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराये गये वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर वाहन लौटाया जायेगा और इसके लिए कोई भुगतान नही किया जायेगा। खराब वाहन के स्थान पर दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
12. ट्रेवल्स एजेंसी/निविदाकार द्वारा सेवा शुल्क या अन्य शुल्क/टेक्स एवं पेन नम्बर का उल्लेख करते हुये संपूर्ण अभिलेख संलग्न करना होगा।
13. बाहरी यात्रा के दौरान वाहन चालक के विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था ट्रेवल्स एजेन्सी को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
14. वाहन चालक के पास मोबाइल होना अनिवार्य है।

7/5/16   7/5/2016

15. सागर (मुख्यालय) से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा, यदि नाईट हॉल्ट किया जाता है तो नाईट हॉल्ट का चार्ज अलग से देय होगा।
16. प्रस्तावित/स्वीकृत दरों के अलावा अन्य शुल्क निविदाकार स्वयं संबंधित एजेंसी/शासन को भुगतान करेगा अर्थात देयकों में अलग से ऐसे कोई शुल्क आदि का भुगतान नहीं लगाया जायेगा।
17. ट्रेवल्स एजेंसी/निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्त्ता का स्पष्ट नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
18. वाहन ठीक हालत में नहीं भेजे जाने पर या किसी भी अन्य कारण होने पर स्वीकृत दरों से विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रेवल्स एजेंसी से भी वाहन मंगाये जा सकते है। जिसके संबंध में अनुबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी कोई दावा नही कर सकेगी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
19. विश्वविद्यालय के कार्य के लिये वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
20. प्रारंभ में अनुबंध एक वर्ष के लिये होगा। अनुबंध की अवधि दोनो पक्षों की सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
21. वि.वि. को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण दर्शाये 15 दिवस का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
22. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त किया जा सकेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। उक्त अधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित होगा।
23. निविदा स्वीकार होने पर रूपये 200/- के Non Judicial स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
24. निविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायिक क्षेत्र सागर (म.प्र.) रहेंगा।
25. वि.वि. से गैराज की दूरी अथवा 12 कि.मी. आना-जाना देय माना जायेगा (दोनो में जो भी कम हो) तथा माइलोमीटर रीडिंग वि.वि. से प्रारंभ होकर वि.वि. में समाप्त होगी।
26. वाहन चालक निर्धारित वर्दी एवं टोपी में होगा तथा वर्दी पर उसके नाम की पट्टी का लगा होना आवश्यक होगा।
27. # ट्रेवल्स एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अभिलेख की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
28. निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध नही करने की दशा में धरोहर राशि विश्वविद्यालय के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी।
29. यदि वातानुकूलित वाहन का उपयोग किया जाता है किन्तु ए.सी. बन्द या उपयोग नही किए जाने की स्थिति में नॉन ए.सी. वाहन का किराया लागू होगा।
30. सभी वाहन चालकों को वाहन आपूर्तिकर्त्ता फर्म पहचान पत्र जारी करेगी जो वाहन चालक को अपने पास रखना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराना होगा।

31. पेट्रोल/डीजल में किसी भी प्रकार की दर वृद्धि होने पर अतिरिक्त भुगतान संविदा अवधि में मान्य नहीं किया जावेगा।

32. वि.वि. द्वारा नियत स्थान एवं समय पर वाहन की माँग करने पर यदि आपूर्तिकर्त्ता असमर्थ पाया जाता है तो डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर को खुले बाजार से वाहन किराये पर लेने का अधिकार होगा एवं संविदा दर से अधिक भुगतान होने पर अतिरिक्त राशि वाहन आपूर्तिकर्त्ता के लंबित देयकों अथवा सुरक्षा निधि से काटी जाएगी।

33. वाहन आपूर्तिकर्त्ता फर्म/स्वामी का टेलीफोन एवं मोबाइल 24 घण्टे उपलब्ध होना चाहिए जिससे आपातकाल की स्थिति/अतिआवश्यक कार्य होने पर तत्काल सीधे सम्पर्क किया जा सकें।

34. विश्वविद्यालय को अवकाश के दिनों में भी वाहनों की आवश्यकता होने पर वाहन आपूर्तिकर्त्ता फर्म/स्वामी को वाहन उपलब्ध कराने होगें जिसके लिये वि.वि. द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

35. वि.वि. परीक्षा गोपनीय कार्य से कहीं भी किसी भी समय वाहन का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार परीक्षा सामग्री को लाने ले जाने अथवा कार्यालयीन यात्राओं में कर सकेगा जिसकी पूर्व सूचना ड्राइवर अथवा फर्म को देना आवश्यक नही होगा।

36. वाहन का उपयोग मध्यप्रदेश से बाहर भी कार्यालयीन उपयोग हेतु किया जा सकेगा अतः वाहन का परमिट आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत का भी होना चाहिये।

37. वाहन चालक द्वारा भोजन,नास्ता करने एवं डीजल-पेट्रोल इत्यादि डलवाने हेतु किये गए वाहन के उपयोग व अतिरिक्त माइलेज को मान्य नहीं किया जावेगा।

38. किसी भी प्रकार के बंद अथवा हड़ताल के दौरान वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

39. मरम्मत/वेतन, पेट्रोल-डीजल एवं अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान संविदा कर्त्ता/ वाहन आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगें।

40. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान आपूर्तिकर्त्ता फर्म को नही किया जाएगा।

41. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा यदि निविदा वापस/अमान्य की जाती है तो उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

42. वाहन चालक वाहन चलाते समय नशे की हालत में पाया जाने पर ट्रेवल ऐजेन्सी पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

27/5/16

27/5/2016

27/5

27/5/2016